संख्या-13-ई.एम./87-का-4-2006

प्रेषक,

बी.एन.दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ :: दिनांक :: 16 जून, 2006

विषयः-स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर आशुलिपिक संवर्ग में पदोन्नति के अवसर प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ,समसंख्यक शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2005 में स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर आशुलिपिक संवर्ग का पुनर्गठन करने के निर्देश निर्गत किये गये थे।

2. शासन के संज्ञान में लाया गया है कि अधिकांश विभागों द्वारा उक्त शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार आशुलिपिक संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए, उनकी पदोन्नति संबंधी कार्यवाही पूर्ण नहीं की गयी है। अतः आपसे यह अनुरोध करने का मुझे निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2005 में निहित व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही तत्काल सम्पादित करते हुए, कृत कार्यवाही की सूचना कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बी.एन.दीक्षित)
विशेष सचिव।

संख्या-13-ई.एम./87(1)-का-4-2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष , उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(बी.एन.दीक्षित)
विशेष सचिव।